

Dy. 9/2014/PP-E

21/12/2014

RTI Matter

F.No.43020/213/RTI/2013-CSR.III

Government of India
Ministry of Home Affairs
(CS Division)

N.D.C.C. Building, Jai Singh Road.
dated the 21st December, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Information sought by Shri Pradeep Kumar Soni under RTI Act, 2005 - Regarding.

Please find enclosed herewith a RTI application No. 213 dated 18.11.2013 (Received by the answering CPIO as on 27.12.2013) through Joint Secretary (Judicial) vide their letter no. 24/82/2013-Judl. & PP dated 18.12.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the subject noted above.

2. The information sought by the applicant is not available in CSR-III Section. The RTI application dated 18.11.2013 is therefore transferred to all CPIO of MHA under section 6 (3) of RTI Act.

3. Sh. S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS), is the concerned Appellate Authority.

Yours faithfully,

(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO

To

All CPIO in Ministry of Home Affairs as per list attached.

Copy to :- Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar, Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan - 322201.

2. Shri J.P.Agrawal, Joint Secretary (Judicial) & CPIO, Judicial & Political Pensions Section, N.D.C.C.H Building, New Delhi

URGENT RTI CASE

Bunny

US/PP-I) and

So (PP-I)

21/12/2014

(Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh)
Director (SR) & CPIO

970/MHA/13
23/12/13

S/No 1 (P)
No.24/82/2013-Judl.&PP

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralay
(Judicial & Political Pensions Section)

4th Floor, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi-1.
Dated the 19 December, 2013.

USG/AM
C.No 2 (2855/1500)
20/12/13

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Information sought under RTI Act, 2005 by Shri Pradeep Kumar Soni, Rajasthan.

R
22-12
SO (CS-3)

The undersigned is to refer to the RTI application No. 213 dated 18.11.2013 of Shri Pradeep Kumar Soni on the above subject and to transfer the same under section 6(3) of RTI Act, 2005 in original, as received, for taking necessary action in the matter as CS Division, MHA is concerned with the subject.

2. It is requested that the applicant may be provided the desired information/document directly under intimation to this Division.

Encl: As above

J.P. Agrawal
18/12/13
(J. P. Agrawal)

Joint Secretary (Judicial) & CPIO
Telefax-23438113

To

1. Ministry of Home Affairs, (CS Division), (Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary), 5th Floor, NDCC-II Building, New Delhi.

Copy to:

in
20/12/13

Shri Pradeep Kumar Soni, Gangpur City, FCI Godam Road, Sainik Nagar
Ganagpur City, Distt.- Sawai Madhopur, Rajasthan-322201.

Pt. circulate all CPIO, in MHA, immediately

R
27/12/13

C. ...

सं. F-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 4/12/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/कुछ प्रदीप कुमार
श्रीमती के आवेदन का अंतरण।

इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/कुछ प्रदीप कुमार
श्रीमती का दिनांक 18/11/2013 का आवेदन प्राप्त हुआ है।

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना लोडिंग के लिए विक्रय/व्यापारिक
कार्य से संबंध रखती है / के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित करने हुए आवेदन को आगे सौंपे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने रसद संख्या 27536 दिनांक: 27/11/2013 (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10% रफ्त का निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है/अनुचित शुल्क जमा करने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

SG
श्री

वी.के. राजन
(सि.के. राजन)

उप सचिव (स्था.) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

16/12/13
USP
श्री प्र.के. सिन्हा
श्री प्रदीप कुमार
लोडिंग के लिए विक्रय

SG
विशुभ प्रदीप (व्यापिक)
एन डी एल - II, एन डी एल
नई दिल्ली

प्रतिलिपि, सूचनाएं प्रेषित: विशुभ प्रदीप
श्री/श्रीमती/कुमारी/कुछ प्रदीप कुमार
लोडिंग के लिए विक्रय

विशुभ प्रदीप
श्री/श्रीमती/कुमारी/कुछ प्रदीप कुमार
लोडिंग के लिए विक्रय
(उनसे, मामले में आगे की सूचना के लिए उपर-उल्लिखित लोक अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

For CS Div
17/12/13
SG

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन

9

दिनांक - 18.11.2013

अधिनियम 213

प्रेषण:- लोक सूचना अधिकारी श्रीमान् सचिव महोदय, राष्ट्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली भारत - 110001

आवेदन का पूरा नाम व पता - प्रदीप कुमार शर्मा महाराष्ट्र राज्य पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली भारत - 110001

चाही गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है - 22 NOV 2013

पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान, भारत सरकार, नई दिल्ली भारत - 110001

- विधिक सहायता समिति के पैन्ल में कितने वकील हैं, पैन्ल के नम्बर बतायें।
- विधिक सहायता समिति में कितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों के नाम बतायें; बनाई सूचना दें।
- विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है? एवं अन्य क्या पद हैं।
- विधिक सहायता समिति, पुलिस, S.D.M., M.L.A. के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के लिए इनके खिलाफ परीच इन्तान को पैन्ल से आप वकील दे सकते हैं अथवा नहीं।
- विधिक सहायता समिति, राजस्थान सरकार के ऊपर केश करने के लिए पैन्ल से वकील देती है अथवा नहीं।
- विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.C.J.D. कठोर कार्य जॉब करने के लिए पैन्ल से वकील दे सकती है अथवा नहीं। परीच इन्तान को
- विधिक सहायता समिति, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ C.B.I. जॉब करने के लिए पैन्ल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं परीच इन्तान को।
- विधिक सहायता समिति, पुलिस के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के लिए A.C.B. फॉर्म में केश दर्ज करवाने के लिए / A.C.B. थाने में F.I.R दर्ज करवाने के लिए पैन्ल से वकील दे सकती है। अथवा नहीं परीच इन्तान को।
- अपने कार्यालय के प्रमुख या इन्चार्ज / अधिकारी का दर्शन तथा किस प्रकार लिखा जा सकता है।
- विधिक सहायता समिति को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के विनास रिप / केशने घंट तक पैन्ल से वकील देती है।
- विधिक सहायता समिति में समाज सेवक / सामाजिक कार्यकर्ता सहित अपना धारण करते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए।
- विधिक सहायता समिति में आज तक जती आज दिनांक तक पुलिस द्वारा सरकार के खिलाफ पैन्ल से किसको वकील दिया है। सूचना दें।
- विधिक सहायता समिति को आप प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये हैं।
- विधिक सहायता समिति को मिटिंग में भाग लेना चाहिए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। सूचना दें।
- किसी परीच इन्तान के साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उस परीच प्रार्थी ने नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन में शिकायत की हो और उचितता से उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो क्या आप पैन्ल से उस प्रार्थी को वकील देंगे। सूचना दे सम्पूर्ण रूप से।
- अधिक कार्यालय के सचिव महोदय ने कितनी संस्थाओं को मिलने के लिए समय दिया है। कब बार सूचना दें एवं संस्थाओं के नाम व पता बतायें।
- आपने जेल में बन्द मुलजिमों की किल-2 प्रकल्प की एवं भित्तों की सहायता दी है, जन्तुकर सूचना दें।
- गंगारुखिटी प्रशासन हमारे कार्यालय / बॉलोनी के गंगा पार्क छोड़ रहे हैं। हमें एवं कौशिकी बासिन्दी को सैंगू धिकिनगुनिया के नरीज भगाने के लिए जिसकी शिकायत हमने प्रशासन को दी थी, पर आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं हुआ हो हमें क्या करना चाहिए।
- आपने किस किस संस्थाओं को विशेष अधिकार दे रखे हैं। नाम व पते के साथ अधिकारों का विवरण बताएं।
- संस्था C.B.I. की मदद करना चाहती हैं तो संस्था को क्या करना चाहिए।
- गंगारुखिटी में A.C.B. थाना शुरू करना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
- गंगारुखिटी जो जिला बनवाना है तो संस्था को क्या करना चाहिए।
- गंगारुखिटी के पत्तों में पत्राचार बहुत थोड़ा है, तो संस्था को क्या करना चाहिए।
- संस्था किसी अधिकारी के द्वारा आज से अधिक संपत्ति की खोज करना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।

तारीख
दिनांक

25. संस्था किसी जज के द्वारा आय से अधिक संपत्ति को जाँच करवाना चाहती हो तो संस्था को क्या करना होगा।
26. नोटरी पब्लिक को किस कार्य के लिए कितनी फीस है। आप सूचना दें।
27. नोटरी पब्लिक के द्वारा ज्यादा दैसे लेने की कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है।
28. शपथ आयुक्त अगर पैसा ज्यादा ले तो शिकायत कहीं कहीं कर सकते हैं। सूचना दें।
29. कोर्ट परिसर में कम्प्यूटर ऑपरेटर की दुकान अगर किसी को खोलनी है तो कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
30. मैं प्रदीप कुमार सोनी सामाजिक कार्यकर्ता मोका कमिश्नर बनना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं प्रार्थना पत्र देना चाहिए।
31. वकील अगर गलत कार्य करता है तो वकीलों की शिकायत कहीं कहीं की जाती है।
32. P.P./A.P.P सरकारी वकीलों के द्वारा अगर गलत कार्य किये जा रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में मैं डूबे है तो शिकायत कहीं-कहीं करनी चाहिए।
33. किसी आन गरीब इन्सान के ऊपर अगर झूठ आरोप लगाकर आई.पी.सी. 378 लगा दी जावे तो मुलजिम डाक्टर की जाँच कहीं-कहीं करा सकते हैं। इसका तरीका क्या है। सूचना प्रदान करें।
34. किसी गरीब इन्सान के ऊपर I.P.C. 378 लगी हो और वो इन्सान निर्दोष हो और पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो वो इन्सान किस किस एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। एवं जाँच करवाने का तरीका किस किस प्रकार है। सूचना प्रदान करें क्रम वार।
35. किसी निर्दोष इन्सान के ऊपर I.P.C. 379 लगी हो और उस गरीब इन्सान को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो तो वो इन्सान किस-किस जाँच एजेन्सी से जाँच करवा सकता है। विन्दुवार सूचना प्रदान करें। एवं जाँच करवाने का तरीका किस प्रकार है।
36. किसी इन्सान को पुलिस I.P.C. 379 में मुलजिम बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दें एवं उस गरीब इन्सान ने चालान कोर्ट में पेश होने से पहले ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय नेशनल हूमन राईट कमिशन, लोकयुक्त महोदय जी से काईन ब्रान्च जाँच की माँग की थी फिर भी काईन ब्रान्च जाँच नहीं हुई, भ्रष्टाचारी पुलिस वालो को पैसे नहीं देने के कारण कोर्ट में चालान पेश कर दिया। तो प्रार्थी को क्या करवाना चाहिए।
37. क्या गरीब इन्सान को काईन ब्रान्च जाँच करवाने का अधिकार नहीं ? सम्पूर्ण सूचना दें।
38. न्यायाधीश A.D.J. द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये की संपत्ति एकत्रित की जा रही है। इसकी जाँच कौन करेगा।
39. न्यायाधीशों A.D.J. के द्वारा साट-गॉट करके नल भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी जाँच कौन करेगा।
40. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हूमन राईट कमीशनों के अध्यक्षों के द्वारा अरबों/करोड़ों रुपये रिश्वत लेकर कमाये जा रहे हैं इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं।
41. राष्ट्रीय एवं राज्यीय हूमन राईट कमिशन के सदस्यगण व कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमाये जा रहे हैं। इसकी जाँच आपने अब तक करवाई की या नहीं। एवं इसकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है। सम्पूर्ण सूचना दें।
42. राजस्थान के लोकयुक्त सचिवालय में सभी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके अरबों/करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनके खिलाफ आपने अब तक जाँच के आदेश दिये या नहीं दिये। एवं इनकी शिकायत कहीं कहीं की जा सकती है विन्दुवार सूचना प्रदान करें।
43. एस.डी.एम. कार्यालय गंगापुर् सिटी में सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं जिनमें एस.डी.एम. भी शामिल है इनके खिलाफ आपने जाँच के आदेश दिये या नहीं एवं इनके खिलाफ कहीं कहीं शिकायत की जा सकती है। सूचना प्रदान करें।
44. तहसीलदार जी एवं कार्यालय के सभी कर्मचारी गंगापुर् सिटी के भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इनकी जाँच कौन करेगा।
45. गंगापुर् सिटी पुलिस मुझे डराती है, एवं धमकी देती है कि तुम समाज सेवा करना बंद कर दो। जिससे मुझे काफी परेशानी होती है, इनकी शिकायत मैं कहीं कहीं करूँ।
46. सरकार या पुलिस प्रशासन के खिलाफ जनहित याचिका लगाने के लिए आप पैनाल से वकील देते हैं अथवा नहीं।
47. आपके कार्यालय के सबसे बड़े पद पर विराजित को संस्था चलाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा विवरण दें।

(3)

[Handwritten signature]

- 45. ग. पुर सिटी कोर्ट परिसर के सभी कर्मचारी अत्याचार में हुए हुए हैं तो संस्था को इनकी शिक्षा देना चाहिए।
- 46. राजस्थान सरकार दुगाओं का शोषण कर रही है तो संस्था को आप किसी प्रकार मदद कर सकते हैं उनहित परिवार में।
- 47. कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सुरक्षा प्रदान की है।
- 48. सामाजिक कार्यकर्ता को आप किस किस प्रकार मदद करती है इस बारे में सूचना दें।
- 49. आपके कार्यालय से आपके कर्मचारी सरकारी सामान भी चोरी करके अपने परिवार वालों को ले जाते हैं जैसे फर्निचर, रेफ्रिजरेटर, गैस, अन्य सामान अपने कर्मचारियों के घर का निरीक्षण किया है कि तो किस सामान की चोरी करते हैं।
- 50. विधिक सहायता समिति जिला न्यायालय साकेत ब्लाक नई दिल्ली में कर्मचारियों के द्वारा बहुत सन्दा व्यवहार किया जाता है शरीर को परेशान करती है तो इसकी जांच करना करना।
- 51. किस किस केश में D.N.A. जांच कराई जा सकती है। एवं जांच करवाने का तरीका क्या है। पूर्ण विन्दुवार सूचना दें।
- 52. D.N.A. जांच करवाने का लिए कहीं -- कहीं आदेश दिया जा सकता है जो कि सुझाव में होती है।
- 53. किसी इंसान को पति बिना तलाक़ दिये दूसरी शादी करके दूसरे पति को तलाक़ दिये बिना दूसरे पति से बच्चे भी पैदा कर ले तो बच्चे पति को क्या करना चाहिए। या किसीकी शरण में जाना चाहिए। सूचना विन्दुवार प्रदान करें।
- 54. किसी इंसान की पति पहले पति के तारे जेवरे को लेकर दूसरे पति (इंसान) से शादी करके दूसरा पति बहुत बड़ा गुस्ता है जो कोई खूबत नग देता तो पर बच्चे पैदा करके करती है तो पहले पति को क्या करना चाहिए। विन्दुवार सूचना दें।
- 55. आपके यहाँ पर कितनी समितियाँ हैं व क्या कार्य करती हैं उनके नाम किस प्रकार हैं सूचना दें।
- 56. आपके यहाँ पर कोई संस्था जनहित, परिवार किसी और के लिए परिवार दे सकती है अथवा नहीं सूचना दें।
- 57. आपके यहाँ कोई हेल्पलाइन नंबर है या नहीं यदि है तो नंबर बताइये।
- 58. आज दिनांक तक कितने F.I.R. दर्ज कराने के आदेश आने दिये हैं परित्याग प्राप्त होने पर
- 59. आज दिनांक तक आपने कितने परिवारों पर C.B.-C.I.D. जांच के आदेश दिये हैं। या दिलाये हैं
- 60. आज दिनांक तक आपने कितने परिवारों पर C.B.I. जांच के आदेश दिये हैं या दिलाये हैं।
- 61. आज दिनांक तक आपने कितने अधिकारियों को सजा दी है या दिलायी है अथवा पद नाम एवं पता बताये।
- 62. आज दिनांक तक आपने कितने बड़े से बड़े भ्रष्टी/अधिकारियों को सजा दी है या दिलायी है अथवा पद नाम एवं पता बताये।
- 63. आपके कार्यालय का प्रतिमाह कितना खर्चा होता है उन खर्चों को भुगतान देता है या देना को शरीर करती है। सम्पूर्ण रूप से विवरण दें।
- 64. SHO पुलिस, DPT पुलिस, उच्च जिला कलेक्टर, तहसीलदार, इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा कितने को नज़ाबत परेशान करना, अत्याचार करना, मुश्किल करना, रिश्वत लेना, इन दोषों में से अगर एक दोष इन अधिकारियों में हो और उसका सबूत हो तो इन अधिकारियों के ऊपर F.I.R. दर्ज कराने का सही तरीका कौनसा है।
- 65. क्या इन अधिकारियों के ऊपर न्यायालय A.C.I.M कोर्ट में इत्यादि पर कर FIR दर्ज करवाने का अधिकार मौजूद है अथवा नहीं सूचना प्रदान करें।
- 66. समिति ACB का स्थल कोर्ट जिला लवाई भादोपुर में खुलवाना चाहती है तो समिति को क्या करना चाहिए सूचना प्रदान करें।
- 67. केन्द्रिय आयोग, कुल कितने हैं इनको नाम क्या गया है व कार्य क्या हैं।
- 68. केन्द्रिय आयोगों के समी के पते किस प्रकार है, एवं पुरस्कार सहित सूचना दें।
- 69. राजस्थान में कुल आयोग कितने हैं इनके नाम किस प्रकार हैं।
- 70. राजस्थान में कुल आयोगों के सभी राई, सही जो किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
- 71. आप को आपका कार्यालय से एक आप आदर्श, सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार मदद सहयता ले सकते हैं। पूर्ण रूप से सूचना प्रदान करें।
- 72. किसी अधिकारी गरीब, दलित गजाद्वारा को अगर कोई 500/- रुपये का नोट गड़ती दे देता है और वो शरीर इंसान बैंक में जमा करवाने जाता है बैंक उस 500/- रुपये के नाम को सूचना पुलिस को देती है उस शरीर इंसान को साथ क्या होगा, क्या पुलिस मुकदमा चले करेगी, व उस शरीर को प्रभावित


76. भारत देश में एवं राजस्थान में नकली नोटों को पकड़ने के लिए गैरानी, एजेन्सी/थाने/पुलिस बना रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ नकली नोटों के काले बास्केट पर धारा डालते हैं। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
77. सरकार/पुलिस/C.B.J./सुफिया एजेन्सी/ C.J.D./ प्राईवेट एजेन्सी वॉन के बावजूद देश में राजस्थान प्रदेश में नकली नोट कैसे धाले हैं क्या सरकार गैरानीय लाईसेन्स जारी करती है या सरकार इस मामले में हिरसोदार है सम्पूर्ण सूचना दें।
78. गंगापुर सिटी पुलिस रूपरेखा नम्बर 2 के सारे कर्म करवा रही है, जैसे हथियार बेचना, बमबाना, नाटक प्रदर्शन देचना, लोरी करवाया इन सभी सूचनाओं को L.B. के कर्मचारी उपर भेज रहे हैं इन सब के बावजूद गंगापुर पुलिस को ऐसे कृत्य करने के लिए परमिट/लाईसेन्स दे रखा है तो आप उस लाईसेन्स परीक्षण को एक प्रस्तावित जॉपी एक सैट में देंगे सम्पूर्ण सूचना देंगे।
79. गंगापुर सिटी पुलिस थाने में कई वर्षों से नुक हुए वादभियों एम सानान की शिकायत हो दर्ज करली है पर तलाश नहीं करती है आखिर क्यों क्या कारण नहीं करने का वक्तुन हैं। सूचना प्रदान करें।
80. गंगापुर सिटी में जो भी अधिकारी नोकरी करते वहाँ से गया है वैसे तब पुलिस अधिकृत/उप विला कलेक्टर, सहस्रीलदार थाना S.I.O./C.I. जो काम से कम एक वर्ष तक रहें रहा तो वो गंगापुर सिटी में से नम्बर 2 की कमाई एक करोड़ रुपये से भी अधिक होकर जाता है इस कारण वो गंगापुर सिटी में दोबारा आने के लिए आपकी प्रार्थना करता है गंगापुर सिटी में से अधिकारी नोकरी करके जाते हैं उनको सन्तति रूपसे हंसियत की फॉच आज विनाश तक डिप्टी कार करवाई है, पूर्ण सूचना प्रदान करें।
81. आपके कार्यालय के द्वारा डेलीलाईन नम्बर क्या रखे हैं वो किस प्रकार है क्या आपके वहाँ से टोल फ्री नम्बर भी डेलीलाईन में चला रहे है तो बताएँ।
82. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में गंगापुर सिटी के ही लोकल कर्मचारी लगा रखे हैं जो शाह गार्ड करके बड़े बड़े प्रस्ताव करवाते है, सरकारी कार्यालय जैसे न्यायालय A.D.J. जेड A.C.J.M. जेड, M.M. जेड, न्यायालय उप-विज्ञा कलेक्टर, न्यायालय सहस्रीलदार, उप पुलिस अधीक्षक वृत्त गंगापुर सिटी सूचना प्रदान करें कि सविधान की किस भाषा अनुच्छेद में सरकारी कार्यालयों में लोकल कर्मचारी लगाने की परमिशन देता है।
83. गंगापुर सिटी सरकारी कार्यालयों में कई वर्षों से भी अधिक कर्मचारी से नर्सवारी वॉन हुए है जो रहने वाले गंगापुर सिटी के है जो प्रस्ताव करवाने में आइन सुनिश्च भिदा रहे है इन कर्मचारियों को कड इत्या आदि भी सम्पूर्ण सूचना देंगे।
84. विधिक सहायता समिति से मिले कोई शरीर इंसान वजेट लेकर न्यायालय में गैरानी इरतानास्त, जनहित याचिका, परिवाद काटूनी तरीके से बनवाना चाहता है। काटूनी तरीके से जो खुद करवा करवा चाहता है तो क्या विधिक सहायता समिति न्यायालय में बाधा देना करने के लिए गर्म ईर्षाक के तौर पर बलोक उपलब्ध करवा सकती है। अथवा नहीं पूर्ण सूचना प्रदान करें।
85. राजस्थान में गंत्रालयों, विभागों धारणों, न्यायनलिका में उच्च लेवल के सबसे बड़े अधिकारी जो सतकत C.I.D.-A.C.B. के सभी एम अलग अलग सतकता को अवेकरियों के साथ भाग किस प्रकार है उनके मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी ईपस नम्बर पर सभी सूचना दें क्या कार उपलब्ध करवाये।
86. न्यायनलिका में कोई सतकत अधिकारी, विभाग होता है तो लख अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर पता इत्यादि कि सूचना देते।
87. राजस्थान में सन् 2020 से आज विनाश तक पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों, एम अलग कर्मचारियों व अधिकारियों पर कुल प्रति वर्ष एफआईआर दर्ज हुई है प्रतिवर्ष के हिसाब से सूचना प्रदान करें।
88. राजस्थान में आजतों के बाद से आज विनाश तक प्रतिवर्ष विनाश अधिकारियों का सजा मिल चुके है सूचना प्रदान करें।
89. भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भारत द्वारा प्रसिध्दियुक्ति पर रोक लगा रखी है रिट रक्षा सन् दो अदेश की जॉपी करलिए या जो भी उपलब्ध हो भेजदए।
90. आपके कार्यालय एम आपके जद पर कपूद अम जन्म की वदोलात है या आपके कार्यालय में आपके जद के कारण आम जनता का बखूर है। सूचना प्रदान करें।
91. राजस्थान में राजाओं, दरबार सदस्यों, राज परिवारों के नाल पर भन्कर सहित सूचना प्रदान करें।
92. आपके कार्यालय के कारण कितने शरीर इंसानों को जिनकी मिला है, नई जिनकी योग का पाँच मिला है कुछ नलीकों पर गैरगानी की है कितनी की सतकता की है कितनी को न्याय विनाश है। सूचना प्रदान करें।

(5)

7

- 94. सरकारी नौकरी के लिए लीक होना, नेपर अच्छे होना, नौकरी में फर्ज वाड़ा इत्यादि का रोकने के लिए आज दिनांक तक कितने अधिकार आपके कार्यालय द्वारा बरखादे गये एवं मुलाजिमों को इस अपराध में आने आने दिनांक तक कितनों को पकड़ा न 'सजा' मिलवाई है।
- 95. संस्था "समिति" के पास कोई अपराधी अर्थों जो पूर्व में कई बड़े अपराध कर चुका हो अज्ञानता के कारण पर संस्था को समय पत्र पेश करके उन्हें कि महिला ने द्वारा अपराध नहीं करेगा और संस्था के द्वारा जो रकत दिनांक लायेगा सख्याई का उल पर होगी चलेगा और दूसरी वही सदैव मदद करेगा। न संस्था जो कमी भी शिकायत का नहीं देगा। तो क्या संस्था को उस अपराधी को सुधारने व नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का अधिकार है कि नहीं संस्था उस अपराधी को समाज सेवा के प्रति प्रेरित कर सकती है अथवा नहीं। संपूर्ण सूचना दें।
- 96. समिति ने भारतीय संस्थान टो नौतिक अधिकारी से अनुच्छेद 19 ए-डी के तहत उपजिला कलेक्टर गंगपुर सिटी को ग्राहना पत्र पेश किया परमिशन लेने के बरसे। पर उपजिला कलेक्टर गंगपुर सिटी ने पत्र क्रमांक 3258 दिनांक 25.10.2013 को पत्र रोजा जिसमें जिद किया कि वे जो के साथ जानन देने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है समिति को उपजिला कलेक्टर नौतिक अधिकारी के तहत परमिशन देने में अनाकर्म करके है सिफ और सिर्फ रिश्त नहीं देने के करण तो समिति को क्या करना चाहिए। जम वर सूचना प्रदान करें।
- 97. किसी नरीब इंसान को पुलिस J.P.C. 379 में गुप्तनिम बनाकर न्यायालय कोर्ट में चालान पेश कर दे नर को परेड इंसान मिलफुल निर्दोष हो पुलिस जो रुपये नही देने के करण उस नरीब इंसान अपने दोरा को दोबारा चॉच करवाना चाहता है सख्याई के साथ C.B.-C.I.D. जाईन ब्रान्च से तो उस नरीब इंसान को क्या करना चाहिए पूर्ण सूचना प्रदान करें।
- 98. गिरा रोजगार कार्यक्रम की स्थापना गिरा के लिए की गयी है एवं जिला रोजगार कार्यालय किस किस प्रकार के कार्य करता है पूर्ण सूचना प्रदान करें।
- 99. संस्था " समिति " अगर किसी इनमी अर्केत का समर्पण करवाना चाहती है तो संस्था को किस प्रकार की सुविधा सरकार व प्रशासन को और ले दी जाती है एवं अर्केत से समर्पण करवाने का सही पूर्ण तरीका किस प्रकार है सूचना प्रदान करें।
- 100. आपके कार्यालय के सभी कर्मचारियों के पद नन बतारें व सभी का मोबाइल नंबर बतारें एवं कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। पूर्ण सूचना प्रदान करें।
- 101. राजस्थान प्रदेश में कितने इनमी अर्केत हैं, जो आज दिनांक तक सरकार के बकस में नहीं अन्य हैं इनके नाम पते बतायें।
- 102. थाना गंगपुर सिटी में C.L.G. सदस्य अधिकतर अल्पमे है एव राजनिरिज्ञ है इसकी जांच कब होगी।
- 103. संस्था नरीब परिवारों का नाम B.P.L. सूची में दर्ज करवाना चाहती है तो संस्था को क्या करना होगा।
- 104. किसी धाने का S.H.O./C.I. ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया हो और उस दिन व ही वर दिन एक न्यायालय के छुट्टी हो तो वह महिला गिरा की परमिशन से डक्टर मुअयन/डायरी चॉच करवा सकता है। सूचना प्रदान करें।
- 105. गंगपुर सिटी को जनता को नानल परियोजना का फार्म कब गीने को मिलेगा जो सन् 2012 से प्रस्तावित है। और धीरे-धीरे कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। सूचना दें।
- 106. सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक को जिलापते पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं दिल्ली कई वर्षों तक थाना नहीं दे या शिकायत पर आदेश कसला नहीं करे तो सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवक को क्या करना चाहिए।
- 107. सरकार व न्यायपालिका अगर गंगपुर सिटी के सभी कार्यालयों में हो रहे बलात्कार को रोक नहीं सकते है तो नरीब जनता से ऐसा क्यों लेते हैं। सूचना दें।

भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10/- रुपये का नंबर 25F 217047 पेश है।
 स्थान - गंगपुर सिटी
 दिनांक - 19.11.2013


 प्रदीप कुमार सोनी
 ब्रह्म सिद्धि
 राजाधर गुडा समिति
 सचिव नर नरीब समिति
 एच.सी.डी. न. गंगपुर रोड
 गंगपुर सिटी गंगपुर (3250)

समयबद्ध आर.टी.आई. मारुला
स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या 5/02/2014-पी.पी.-।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नीति नियोजन प्रभाग



एन0डी0सी0सी0-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 10 जनवरी, 2014

10 JAN 2014

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार सोनी,
गंगापुर सिटी एफ0सी0आई0 गोदाम रोड
सैनिक नगर, गंगापुर सिटी,
जिला-सवाई माधोपुर,
राजस्थान-322201

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी।

नहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 18.11.2013 के आर0टी0आई0 आवेदन संख्या 213 का संदर्भ लें, जिसकी एक प्रति इस मंत्रालय में निदेशक (एस0आर0) एवं सी0पी0आई0ओ0, डा0 (श्रीमती) प्रवीण कुमारी सिंह के दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 43020/213/आर0टी0आई0/2013-सी0एस0आर0-।।।, जो इस मंत्रालय के सभी सी0पी0आई0 ओज़ को और एक प्रति आपके संबोधित हैं, के साथ इस प्रभाग में दिनांक 02.01.2014 को प्राप्त हुई है।

2. जहां तक अधोहस्ताक्षरी के कार्य क्षेत्र में इस प्रभाग के कार्य का संबंध है, आपके उक्त आर0टी0आई0 आवेदन में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है और इसीलिए इसे कृपया 'शून्य' समझा जाए।

R.B. No. 7/2013

भवदीय,
श्री.के.पंत
(वी0के0 पन्त)

उप सचिव, भारत सरकार एवं सी0पी0आई0ओ0

प्रति प्रेषित:

डा0 (श्रीमती) प्रवीण कुमारी सिंह, निदेशक (एस0आर0) एवं सी0पी0आई0ओ0, को उनके दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के पत्र संख्या 43020/213/आर0टी0आई0/2013-सी0एस0आर0-।।। के संदर्भ में सूचनाएं।

(पु.अ. वि.प्र.)

मा. 1 पु.प्र.